5 रु. Rs. 5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs. 5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs. 5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

366

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–सतना

निगरानी 1620-II-15

श्री ... द्वारा आज दि. 22.6.15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. अरूण कुमार तिवारी पुत्र नारायण दास तिवारी, निवासी ग्राम करतहा तहसील नागौद, जिला सतना (म.प्र)
2. पुष्पेन्द्र तिवारी पुत्र नारायणदास तिवारी, निवासी ग्राम मझराकला तहसील नागौद, जिला सतना (म.प्र)

—— आवेदकगण

विरूद्ध

आमजनता द्वारा मझराकला, बृजेश तिवारी, तहसील नागौद, जिला सतना (म.प्र)

—— अनावेदक

22/6/15

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, नागौद, जिला सतना द्वारा प्रकरण क्रमांक 60/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 10.06.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर सविनय प्रस्तुत है :–

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य :</u>

1. यहकि, अनावेदक द्वारा विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार नागौद वृत्त जसो के समक्ष एक शिकायती आवेदन पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया कि आवेदकगण का नाम बी.पी.एल. सूची में गलत तरीके से दर्ज किया गया है, जिसे विलोपित किया जाये। उक्त आवेदन पत्र का विधिवत जबाव आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत किया एवं बताया गया कि अनावेदक द्वारा शिकायत गलत तरीके से राजनीति से प्रभावित होकर प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में अनावेदक की ओर से प्रस्तुत शिकायत निरस्त की जाये।

2. यहकि, विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदकगण की ओर से जो जबाव प्रस्तुत किया गया था, उस पर विधिवत विचार किये बिना एवं उनको सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर दिये बिना एवं राजस्व

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–1620–दो/2015 जिला–सतना

अरूण कुमार तिवारी व अन्य विरूद्ध आम जनता द्वारा मझराकला बृजेश तिवारी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28–02–2019	आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी नागौद, जिला–सतना के प्रकरण क्रमांक 60/2014–15/अपील में पारित आदेश दिनांक 10–06–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 25–4–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 28/2/2019 (आर.के. जैन) सदस्य	